बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांकः—प्र/विद्युत बोर्ड—01/15 पटना, दिनांक—

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

विषयः— बाह्य सम्पोषित परियोजना के अंतर्गत एशिएन डेवलपमेन्ट बैंक से ऋण प्राप्त कर बिहार राज्य विद्युत बोर्ड वर्तमान में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंम्पनी लिमिटेड के संचरण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु 153.9 मिलियन डॉलर (708 करोड़ रूपये) की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार सरकार को ए० डी० बी० द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से वैधानिक कटौतियों एवं परामर्शी के फीस आदि के भुगतान की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2017—18 में उपलब्ध कराए गए रू० 25,17,27,667/—(पच्चीस करोड़ सत्रह लाख सत्ताइस हजार छः सौ सड़सठ) रूपये, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंम्पनी लिमिटेड को भुगतान करने हेतु आवंटन की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या—2145, दिनांक 04.07.2017 के आलोक में बाह्य सम्पोषित परियोजना के अंतर्गत एशिएन डेवलपमेन्ट बैंक से ऋण प्राप्त कर बिहार राज्य विद्युत बोर्ड वर्त्तमान में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंम्पनी लिमिटेड के संचरण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु 153.9 मिलियन डॉलर (708 करोड़ रूपये) की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार सरकार को ए० डी० बी० द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से वैधानिक कटौतियों एवं परामर्शी के फीस आदि के भुगतान की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2017—18 में उपलब्ध कराए गए रू० 25,17,27,667/—(पच्चीस करोड़ सत्रह लाख सत्ताइस हजार छः सौ सड़सठ) रूपंये, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंम्पनी लिमिटेड को भुगतान करने हेतु आवंटन स्वीकृत एवं विमुक्त किया जाता है।।

2. यह राशि मुख्य शीर्ष 6801—बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज— उप मुख्य शीर्ष—00—लघु शीर्ष—190—सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज उपशीर्ष—0508— बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंम्पनी लिमिटेड की संचरण तथा परियोजना (बाहय सम्पोषित योजना)—राज्य योजना मांग सं0—10—विपत्र कोड—10—6801001900508 विषय शीर्ष 5501 ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

आवंटन की स्थिति निम्न प्रकार हैः—

| बजट उपबंध | पूर्व में आवंटित राशि | वर्त्तमान में आवंटित राशि | कुल आवंटित राशि | बजट उपबंध की शेष राशि |
|---|---|---|---|---|
| 2,35,29,00,000.00 | 0.00 | 25,17,27,667.00 | 25,17,27,667.00 | 2,10,11,72,333.00 |

3. इस राशि की निकासी कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी।

कृ०पृ०उ०

BSPGCL

4. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 2561, दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि राशि की निकासी के पूर्व सारी प्रक्रिआयों को पूरा करने के बाद ही इस राशि की निकासी करेंगे। यह राशि इस मद में कुल उपबंधित राशि के अधीन है।

5. आवंटित राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि के साथ संबधित विषय शीर्ष का भी उल्लेख करेंगे तथा विपत्र पर निहित राशि बजट उपबंध के अंतर्गत होने का प्रमाण–पत्र भी अंकित करेंगे।

6. इस राशि की निकासी प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक के माध्यम से बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, पटना को उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को किया जाएगा।

7. उपरोक्त निर्गत स्वीकृत राशि पी0एल0 खाता के माध्यम से संचालित नहीं होंगी बल्कि सीधे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिडेट को उपलब्ध करायी जायेगी।

विश्वासभाजन,

ह0/–
**(प्रत्यय अमृत),**
प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग।

ज्ञापांक:– दिनांक:–

*प्रतिलिपि*:–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
**प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग।**

ज्ञापांक:– 61 दिनांक:– 05/07/2017

*प्रतिलिपि*:–प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा (तीन प्रतियों में), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/विभागीय बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, ऊर्जा विभाग/आई0 टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, वित्त विभाग/राजस्व शाखा, वित्त विभाग/प्रशाखा–7, वित्त विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग।**